हत्यारोपी पति, सास व ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई

अदालत से

श्रावस्ती, संवाददाता। महिला की गला दबाकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने पति समेत सास व ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 32-32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वर्ष 2020 में आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज हुआ था।

अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे हैं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि कोतवाली भिनगा क्षेत्र के मोहल्ला टंडवा निवासी नानबाबू ने अपनी पुत्री काजल की शादी अर्जुन पुत्र रमेश निवासी मल्हीपुर खुर्द थाना मल्हीपुर के साथ वर्ष 2018 में किया था। सास मायावती, ससुर रमेश व पति अर्जुन पैसों के लिए काजल के साथ मार पीट करते थे। 13 मई 2020 को आरोपियों ने मारपीट के दौरान गला दबाकर काजल की हत्या कर दी। पिता की ओर से आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया गया। मल्हीपुर थाने पर दर्ज मामले की विवेचना हुई व तीनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में पुलिस ने आरोप पत्र प्रेषित किया। मामले का विचारण अपर सत्र न्यायालय (पोक्सो एक्ट) की न्यायालय में हो रहा था। शुक्रवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 32-32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

गिलौला कस्बे में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का चाबुक, यातायात सुगम

दोबारा अतिक्रमण करने पर दी गई कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

जागरण टीम • श्रावस्ती : प्रशासनिक व पुलिस टीम ने जमुनहा तहसील मुख्यालय वीरगंज बाजार व गिलौला कस्बे में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने बाजार की मुख्य सड़क व पटरियों से अतिक्रमण को हटवाया। दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

वीरगंज बाजार में सड़क से अतिक्रमण हटवाते प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी • जागरण

जमुनहा तहसील मुख्यालय वीरगंज में ब्लाक कार्यालय के साथ सीएचसी, पशु चिकित्सालय, होम्योपैथिक चिकित्सालय, तहसील व थाना संचालित है। यहां बैरियर चौराहे से करीब आठ सौ मीटर लंबा मुख्य मार्ग है। इसके दोनों ओर विभिन्न प्रकार की दुकानें संचालित हैं। इसी मार्ग से ब्लाक कार्यालय, पशु अस्पताल व सीएचसी को लोग आते-जाते हैं। इस मार्ग पर दुकानदारों ने पक्की सड़क तक अतिक्रमण कर दुकान सजा ली थी। दुकान पर आने वाले ग्राहक अपनी बाइक व साइकिल सड़क पर ही खड़ी कर देते थे। इससे भारी जाम की स्थिति बन जाती थी। इसमें एबुलेंस वाहन भी फंस जाते थे। जमुनहा नायब तहसीलदार शुभम तिवारी व मल्हीपुर थाने प्रभारी निरीक्षक जयहरि मिश्र ने सड़क व पटरियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया। लगभग तीन घंटे तक 50 से अधिक दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटवा कर सड़क को कब्जा मुक्त कराया गया। नायब तहसीलदार ने बताया कि सड़क से अतिक्रमण हटवा दिया गया है। इससे जाम की स्थिति से निजात मिलेगी। यातायात सुगम होगा। गिलौला कस्बे में शुक्रवार को नायब तहसीलदार प्रांजल त्रिपाठी, गिलौला थाने के निरीक्षक महिमानाथ उपाध्याय, यातायात प्रभारी मुहम्मद शमीम ने टीम के साथ अभियान चलाकर सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया। अधिकारियों ने दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी।

फुटपाथ पर सजी इन दुकानों पर खरीदारी करने आए लोग सड़क पर ही खड़े कर देते थे वाहन, इस वजह से प्रतिदिन लगता था जाम

कार्यालय उप जि

संख्या-129/7-भूलेख-रा०का०-तालाब आवंटन /202
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि तहसी
प्राप्त आवेदनों के आधार पर उ०प्र० राजस्व संहिता-2
अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 76/1364/एक 1-
नियमावली 2016) में प्रदत्त आधारों पर धारा-61 तथ
अनुसार वार्षिक लगान पर दस वर्षीय मत्स्य पालन हेतु
बजे से स्थान तहसील सभागार शाहाबाद जनपद हरदो
शाहाबाद के अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित की दशा में
किये जाने वाले तालाबों का विवरण निम्न प्रकार है-
खण्ड-अ- 0.2020 हे0 से अधिक व 2.000
(नियमावली के नियम 57 (5) के अनुसार पात्रत
बोली बोलने के लिए जमानत धनराशि (आरक्षित बोली